

# राजस्व अपील प्र. सं. 35/2022

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज


नम्बर तारीख  
अहकाम जज इम  
हुक्म की तारीख  
में जारी हु

12.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अमृत परिहार ने वकालतनामा पेश किया। अपीलार्थी अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब हेतु मौखिक निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि पत्रावली पर मौजूद रहने से अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझती है। दोनों पक्षों की ओर से वहस समाहीत की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। दिनांक 05.08.2022 की आदेश तालिका का अवलोकन किया गया जिसमें आगामी पेशी का अंकन नहीं है, अंतिम आदेश तालिका जिसके जरीये प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया गया है, उसमें दिनांक का उल्लेख नहीं है। अपीलार्थी अधिवक्ता का मूल रूप से न्यायालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने की कोशिश की गई कि अपीलार्थी भूमिहीन है, एवं अपीलाधीन आदेश से संबंधित कृषि भूमि पर अपीलार्थी का पुराना कब्जा है। अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान नहीं किया गया है, जिससे उक्त भूमि में नियमन की सिफारिश किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली के परिशीलन एवं विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, वेडा द्वारा पारित आदेश दिनांक नील को अपास्त किया जाना एवं प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश पारित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश अपास्त किया जाता है, एवं अधीनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जाता है कि अपीलाधीन प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पुनः नम्बर पर लेकर अपीलार्थी (गैर सायल) को नोटीस जारी कर सुनवाई का उचित अवसर देकर रिकॉर्ड इत्यादि का अवलोकन कर अपीलार्थी के प्रकरण के संबंध में नये सिरे से न्यायसंगत आदेश पारित करें।

उक्त अनुसार अपील अपीलार्थी रवीकार की जाकर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार, वेडा को रिमाण्ड किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
वाली, जिला-पाली